



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड
खाद्य भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

Email: foodcommfcs@gmail.com

दूरभाष:-0135-2780778

पत्रांक-2191 /आ०वि०शा०/फोर्टीफाईडचावल/EOI/2022-23

दिनांक :29 दिसम्बर, 2022।

:-आदेश:-

राज्य में भारत सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चावल फोर्टिफिकेशन किये जाने हेतु FRK निर्माता/आपूर्तिकर्ता फर्मों को विभाग में इम्पैनल्ड किये जाने तथा FRK की F.O.R दरें निर्धारित किये जाने हेतु EOI (Expression of Interest) को खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 16.11.2022 को राष्ट्रीय समाचार पत्रों हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 30.11.2022 निर्धारित की गयी थी।

उपर्युक्त के क्रम में FRK निर्माता/आपूर्तिकर्ता फर्मों को विभाग में इम्पैनल्ड किये जाने तथा FRK की F.O.R दरें निर्धारित किये जाने हेतु दिनांक 16.11.2022 को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित EOI (Expression of Interest) को अपरिहार्य कारणों से तत्काल निरस्त किया जाता है।

ह०/-

(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)
आयुक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी नजारत, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त EOI (Expression of Interest) को निरस्त करने की प्रक्रिया को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु एक प्रति आई०टी० सेल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ० एम०एस० विसेन)
मुख्य विपणन अधिकारी।